

बच्चे स्वच्छता के प्रति परिवार को जागरुक करे

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत आनंद कालोनी स्थित नवीन कन्या स्कूल में स्वच्छता जागरुकता शिविर का आयोजन, बच्चों ने उत्साह से विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया

रतलाम 13 फरवरी । शहर में साफ-सफाई बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी से गंभीर बीमारियां फैलती हैं और इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर ही पड़ता है। विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक, मानसिक विकास के लिए बाल स्वच्छता को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन दुर्भाग्य से 14 साल की उम्र के बच्चों में से 20 फीसदी से अधिक बच्चे असुरक्षित पानी, अपर्याप्त स्वच्छता या अपर्याप्त सफाई के कारण या तो बीमार रहते हैं या मौत का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह सफाई के अभाव के कारण डायरिया से होने वाली मौतों में पांच साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। ऐसे में स्वच्छता के प्रति सभी सर्तक रहे और विशेषकर स्कूली छात्र-छात्राएं अपने परिवार व समाज को भी स्वच्छता के प्रति जागरुक करे।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने शनिवार को आनंद कालोनी स्थित नवीन कन्या स्कूल में आयोजित स्वच्छता जागरुकता शिविर के दौरान व्यक्त किए। इस अवसर पर श्री झारिया ने बच्चों को स्वच्छता के लिए प्रेरक बातें भी समझाईं।

कार्यक्रम में उपस्थित उपायुक्त श्री निशिकांत शुक्ला ने कहा कि गंदगी से कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए साफ-सफाई का जीवन में खासा महत्व है। चूंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप खुद जागरुक होने के साथ ही अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरुक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाहरी सफाई के साथ ही मन की सफाई भी काफी जरूरी है। इसलिए अपने परिवार के अलावा समाज के भी कल्याण की कामना करें। तभी समाज व देश में खुशहाली व स्वच्छता फैलेगी।

स्कूल प्राचार्य ममता अग्रवाल ने स्वच्छता लाओ जीवन बचाओ का नारा देते हुए कहा कि जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरुक नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में बच्चों का खास महत्व है। यदि बच्चे जागरुक होंगे तो परिवार भी जागरुक होगा।

जागरुकता शिविर में सर्व प्रथम मां.सरस्वती का पूजन आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, उपायुक्त श्री निशिकांत शुक्ला व प्राचार्य ममता अग्रवाल ने किया। अतिथियों का स्वागत सुधीर गुप्ता, निखोरिया मेम और अनिल पांचाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सीमा खराड़ी और आभार व्यक्त श्रीमती सुरेखा माना ने किया।

स्पर्धा में सुनैना और आराधना ने बाजी मारी

स्वच्छता जागरुकता शिविर के दौरान स्कूली छात्राओं ने रांगोली, मेंहदी, चित्रकला, निबंध सहित आधा दर्जन प्रतियोगिताओं में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। यहां आयोजित निबंध प्रतियोगिता में जारा खान, पायल कुमावत और शगुप्ता खान तो पुरुस्कृत किया गया। इसी तरह रांगोली प्रतियोगिता में आराधना, करिश्मा, ज्योति और शगुप्ता खान को पुरुस्कृत किया गया। चेरर रेस में सुनेना, पायल और बारकु ने बाजी मारी है। मेंहदी प्रतियोगिता में नोशिना, चंचल और निखत को पुरुस्कृत किया गया।

ये रहे निर्णायक स्वच्छता जागरुकता शिविर में आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं के निर्णायक श्रीमती कनाड़े, श्रीमती रेखा अग्रवाल, करुणा मेम, रेखा मेहरा, श्रीमति निखोरिया मेम, श्रीमती ताहेरा खान, श्रीमती अनिता अलेक्जेंडर, असरा सिद्धकी, श्रीमती माना मेम रहे।

कचरा पात्र नहीं रखने पर अब फुटकर विक्रेताओं पर भी होगा जुर्माना कालिका माता क्षेत्र में 4 फुटकर व्यापारियों पर हुआ जुर्माना

रतलाम 13 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकों, दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं किन्तु नगर के सब्जी, फल-फ़ूट सहित अन्य सामग्री के फुटकर विक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कालिका माता क्षेत्र के फुटकर व्यापारी द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत चाणोदिया मटका कुल्फी, राहुल वाघेला, राज माहेश्वरी व शर्मा पाव-भाजी पर 250-250 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईश दी गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद हैं। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वेदव्यास कालोनी में सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 25,09,144/- संपत्तिकर व 6,38,470/- जलकर जमा कराया

रतलाम 13 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22,000/- व जलकर 29,280/-, तिरुपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर 59,500/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 25,09,144/- संपत्तिकर व 6,38,470/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 के लिये 15 फरवरी को वेदव्यास कालोनी, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 16 फरवरी को कल्याण नगर, वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिये 17 से 18 फरवरी तक दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 23 फरवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 656 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 13 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 13 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 656 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 13 फरवरी को दो बत्ती थाने के सामने व सैलाना रोड से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान

हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त 114 दिनों में 142 वॉल्व व 775 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 13 फरवरी | शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 13 फरवरी तक 142 वॉल्व व 775 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 13 फरवरी शनिवार को रेल नगर, टेंकर रोड, सज्जन मिल रोड, सुभाष नगर मंदिर वाली गली, मोती नगर, गीता मंदिर रोड, जय भारत नगर, हाकमवाड़ा, महालक्ष्मी नगर, महावीर नगर व बसंत विहार कालोनी में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री देवेन्द्र पवार आदि के निर्देशन में की गई।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 13 फरवरी | समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण-पत्र, मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 13 फरवरी | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाइन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 13 फरवरी | रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 13 फरवरी | नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्ता, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टूटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकारक कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाइट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/13.02.2021/न.पा.निगम, रतलाम.